

शिवकुमार - राजस्व इन्डि 25 नं 88/21

दिनांक	आज्ञा पत्र	
3. 4. 24	<p>फत्रावली पेश। प्रकरण में रैपोर्सेंट की तस्मील होय है। इस हेतु अपीलान्त रीय रैपोर्सेंट के रजिस्टर्डड नॉसिद भन्व है पेश करे। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का रीव्रतिशील निस्तारण किया जा सके पत्रावली पत्रे त्तवी रिकार्ड दिनांक 4. 7. 24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">D.P.</p>	
5. 6. 24	<p>अपीलान्त वकील के डा. पत्र आज पेश/लगाई। फत्रावली पेश। वकील अपीलान्त ने उपस्थित होकर बाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सारे इजलासा सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">D.P.</p> <p style="text-align: center;">भू-प्रतन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी रीकर</p>	<p>अपीलान्त के मांगे मही नं नं नं नं नं नं नं</p> <p style="text-align: center;">शिवकुमार</p> <p style="text-align: center;">पदेन राजस्व अधिकारी</p> <p style="text-align: center;">शिवकुमार</p>